

## अनुभव पुरस्कार

**स्रोत: पी.आई.बी**

हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा के दौरान किये गए योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से **सेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW)** ने **7वें अनुभव पुरस्कार समारोह** का आयोजन किया।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किये गए अनुभव पुरस्कार का उद्देश्य सेवानवृत्त हो रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुभवों को मान्यता देना और उनका दस्तावेजीकरण करना है।
  - भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर **मार्च 2015** में शुरू किये गए इस पोर्टल का उद्देश्य अनुभव पोर्टल के माध्यम से सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देते हुए अनुभवों को साझा करने की संस्कृतिका निर्माण करना है।
- **पात्रता:** सेवानवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगी पात्र हैं। DoPPW द्वारा अधिसूचिती समय-सीमा के दौरान अनुभव पोर्टल पर प्रकाशित लेखों को पुरस्कारों के लिये विचार किया जाता है।
- **प्रस्तुतकिरण समय:** सेवानवृत्तता से 8 महीने पहले तक तथा सेवानवृत्तता के 1 वर्ष बाद तक प्रस्तुतकिरण प्रस्तुत किया जा सकता है।
  - प्रस्तुतयिों संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन के बाद प्रकाशित की जाती हैं।
- 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह में 9 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्मिकों को 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए।

और पढ़ें: [एकीकृत पेंशन योजना](#)